[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 05/2019-सीमाशुल्क

नई दिल्ली 16 फरवरी, 2019

सा.का.नि.(अ).- जहां कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जोकि इसके बाद सीमा शुल्क अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है), की प्रथम अनुसूची मे आने वाली सभी वस्तुएं जोकि इस्लामिक पाकिस्तान गणतंत्र में मूलतः उत्पादित हों या निर्यात की गयीं हों, पर लगने वाले आयात शुल्क में वृद्धि की जानी चाहिए और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण इस पर तत्काल कार्यवाही किए जाने की जरुरत है।

अतः अब सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एतद्द्वारा निर्देश देती है की सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित तरीके से संशोधन किया जाएगा, यथाः-

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, धारा XXI में, अध्याय 98 में, टैरिफ मद 9805 90 00 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित टैरिफ मद और उससे प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथाः-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“9806 00 00	सभी वस्तुएं जोकि इस्लामिक पाकिस्तान गणतंत्र में मूलतः उत्पादित हों या निर्यात की गयीं हों	-	200 %	-”I

[F.No.354/40/2019 -टीआरयू]

(गौरव सिंह)

उप सचिव,भारत सरकार